संख्या : 55/2016/483/छप्पन-2016-1/2016

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 29 जुलाई, 2016

विषय : राजकीय हवाई पट्टी धानीपुर, अलीगढ की रि-सरफेसिंग तथा अन्य सम्बद्ध कार्यों के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1076/ए0एस0-22-84/2016, दिनांक 14.3.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय हवाई पट्टी धानीपुर, अलीगढ़ की रि-सरफेसिंग एवं अन्य सम्बद्ध निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में एक मुश्त प्राविधानित धनराशि से कार्यदायी संस्था राइट्स लि0 द्वारा गठित आगणन रूपये 2,29,28,000/- के सापेक्ष रूपये 2,18,40,000/- (रूपये दो करोड़ अट्ठारह लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रूपये 1,09,00,000/- (रूपये एक करोड़ नौ लाख मात्र) के व्यय की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने तथा प्रायोजना की परिकल्पना से लेकर उसे कार्यशील बनाने की समस्त गतिविधियों जिसमें प्रोजेक्ट प्रबन्धन, निर्माण, निविदादाताओं के आगणन की कार्यवाही के सूत्रपात से लेकर उन्हें अन्तिम रूप दिये जाने की समस्त कार्यवाही, संविदा स्वीकार करने एवं संविदा पर अभिनिर्णय, गुणवत्ता सुनिश्चित करने, अनुश्रवण एवं नियंत्रण आदि समस्त दायित्व सम्मिलित हैं, के लिये कार्यदायी संस्था मै0 राइट्स लि0 उत्तरदायी होगी।

3- उक्त प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि का 75 प्रतिशत अंश उपयोग होने और कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा दूसरी किश्त का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा।

--- 2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5- प्रायोजना के लिए गठित आगणन का परीक्षण शासनादेश संख्या- 19/2015/बी- 2-2973/दस-15-10/77, दिनांक 19.10.2015 में इंगित मार्गदर्शी बिन्दुओं के अनुसार करते हुए सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

6- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि उसी प्रयोजन/मद पर व्यय की जायेगी, जिस प्रयोजन/मद हेतु यह स्वीकृत की गई है। किसी भी दशा में यह धनराशि किसी भिन्न मदों/प्रयोजनों पर व्यय नहीं की जायेगी। स्वीकृत धनराशि सम्पादित कार्यों के सत्यापन के बाद राइट्स लि0 के साथ सम्पादित होने वाले अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार समय-समय पर आवश्यकतानुसार एवं सुसंगत नियमों एवं अनुबन्ध में विहित प्रक्रिया के अधीन ही व्यय की जायेगी।

7- प्रायोजना के आगणन में इंगित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन, जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्रा में वृद्धि एवं अन्य भिन्न विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, बिना सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये नहीं किया जायेगा।

8- प्रश्नगत प्रायोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 कार्य प्रारम्भ होने से पहले यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो पूर्व में स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जाने हेतु प्रस्तावित है।

9- स्वीकृत धनराशि का उपयोग तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह राइट्स लि0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

10- प्रायोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य के सम्परीक्षित लेखे और स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

11- प्रश्नगत कार्य डी0जी0सी0ए0 के नियमों के अनुसार पूर्ण कराया जायेगा।

12- प्रश्नगत स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व प्रायोजना के आगणन का मूल्यांकन (स्प्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण अधीक्षण अभियंता से कराया जायेगा और निर्माण इकाई के सक्षम स्तर के अधिकारी आगणन को प्रति हस्ताक्षरित करेंगे। तदुपरान्त आगणन की मूल्यांकन/प्रतिहस्ताक्षरित प्रति शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

--- 3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय में अनुदान संख्या- 38-पूँजी लेखा के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन- 800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत्त निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

14- परियोजना के व्यय प्रस्ताव/आगणन का परीक्षण एवं मूल्यांकन वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 19/2015/बी-2-2973/दस-15-10/77, दिनांक 19.10.2015 एवं शासनादेश दिनांक 22.3.2016 के मार्गदर्शी बिन्दुओं के अनुसार किया जाये।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 55/2016/483(1)/छप्पन-2016-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, अलीगढ़।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।